नैनीताल में उत्तरखंड के उच्च न्यायालय में

2007 का आपराधिक पुनरीक्षण सं0.79

दया शंकर पुनरीक्षणकर्ता

इसके बनाम

उत्तरांचल राज्य और अन्य प्रतिवादी

तारीख 31 मई, 2013

माननीय सर्वेश कुमार गुप्ता, जे.

इस न्यायालय ने संशोधनवादी के अधिवक्ता श्री बी0 एस0 अधिकारी और राज्य के संक्षिप्त धारक श्री अमित कापड़ी को सुनवाई सौंपी है। निजी विरोधी पक्षों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है, हालांकि उन्हें पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं और उनके वकील का नाम भी सूची में दिखाई देता है।

यह पुनिरीक्षण अतिरिक्त परिवार न्यायाधीश, ऋषिकेश, देहरादून द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 02.12.2006 के खिलाफ है, जिसके तहत पुनिरीक्षणकर्ता की पत्नी श्रीमती शालिनी राजपूत और उनकी बेटी कु0 अभिलाषा को इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने की तारीख से भरण.पोषण भत्ता के रूप में क्रमशः 3,500 रुपये और 1,500 रुपये प्रति माह (कुल 5000 रुपये प्रति माह) दिए गए थे।

विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि भरण.पोषण याचिका को चुनौती देने के दौरान, पुनिरीक्षणकर्ता निजी प्रतिवादीयों को लगातार मु0 1500/– रूपये अंतरिम भरण.पोषण का भुगतान कर रहा था और यह तर्क दिया गया है कि वेतन रसीद के अनुसारए जो Rs.17,575/- के मासिक वेतन का विज्ञापन करती है, निजी प्रतिवादीयों को दी गई राशि अत्यधिक है। यह न्यायालय उक्त दलील से संतुष्ट नहीं है और महसूस करता है कि पुनिरीक्षणकर्ता, जिसे वर्ष 2005 में वेतन पर्ची में लेफ्टिनेंट के रूप में दिखाया गया है, अब तक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहा होगा। इसके अलावा, पुनिरीक्षणकर्ता को समूह में लेफ्टिनेंट या कैप्टन के रूप में देखते हुए, उसकी पत्नी और बच्चे को पुनिरीक्षणकर्ता के बराबर का दर्जा माना जाता है। इसलिए, प्रति माह भरण.पोषण के लिए ₹5,000/- प्रतिमाह का भरण पोषण देना बिल्कुल भी अत्यधिक नहीं था, और इस बात का कोई प्रभाव नहीं है कि मुकदमेबाजी विचाराधीनता रहने के दौरान उन्हें प्रति माह ₹1,500/- रूपये का अल्प निर्वाह भत्ता दिया जा रहा था। न्यायालय महसूस करता है कि पुनिरीक्षण किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार पुनिरीक्षण को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, पुनिरीक्षणकर्ता द्वारा अपनी पत्नी और बच्चे को पहले से ही भुगतान की गई राशि को अवशिष्ट राशि की गणना करते समय समायोजित किया जाएगा। यह पुनिरीक्षणकर्ता के आहरण और संवितरण अधिकारी का विवेकाधिकार होगा कि वह पुनिरीक्षणकर्ता से उचित किश्तों में राशि की वसूली करे, ताकि उसके पास उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त राशि छोड़ी जा सके।

(सर्वेश कुमार गुप्ताए जे.)

31.05.2013

राजीव डांग